# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

**प्रकरण संख्या : 25/2019 एफ एस एस एक्ट**

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री करोडीमल गुप्ता पुत्र श्री पुरूषोत्तम गुप्ता विक्रेता व मालिक
एफबीओ मैसर्स– भव्य एजेन्सी, एनएच–11, बालाजी मोड, तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्रीफूल मीना पुत्र श्री श्रीमन मीना मालिक
एफबीओ मैसर्स–श्री कृष्णा एजेन्सी, मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
निवासी मीना सीमला, पोस्ट उदयपुरा, तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. श्री दीपक कुमार बोथरा पुत्र श्री तिलोक चन्द बोथरा, मालिक
मैसर्स–सालासर एन्टरप्राइजेज, 206, शान्ति काम्पलेक्स, बराह जी की गली, गणगौरी बाजार, जयपुर।

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण सं 1 लगा. 3 स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 30.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/2014/779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.10.2018 को दोपहर बाद 02:15 बजे मैसर्सः– भव्य एजेन्सी, एनएच–11, बालाजी मोड, तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री करोडीमल गुप्ता पुत्र श्री पुरूषोत्तम गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन नही होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विकेता के गोदाम में एक रैक में करीबन 50 पैकिट (**50 Pkt. X 11 Pouch X 16 Gram**) पान मसाला (राज श्री) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर नमूने की जॉच हेतु **12 Pkt. X 11 Pouch X 16 Gram** पैकिट पान मसाला (राज श्री) खरीदे। जिनकी कीमत 2100 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र0 सं0 : 25/2019 एफ एस एस एक्ट

नमूने के लिये खरीदशुदा 12 Pkt. X 11 Pouch X 16 Gram पैकिट पान मसाला (राज श्री) को 3 Pkt. X 11 Pouch X 16 Gram के चार पैकिट बनाकर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेटकर पैकिटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-2008 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार-चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने की दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.10.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.10.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (राज श्री) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1576/एक्ट/2018/459 दिनांक 20.11.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (राज श्री) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण सं. 1 लगा. 3 की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट एल.एस./1576/एक्ट/2018/459 दिनांक 20.11.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (राज श्री) के लेबल पर Nutritional Information से सम्बन्धित सूचना प्रिन्ट नहीं की गई है। जो कि रेगुलेशन नं. 2.2.2(3) एफएसएस (पैकेजिंग एंड लेबलिंग) रेगुलेशन 2011 का उल्लंघन है। जिसके कारण उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (राज श्री) मिसब्राण्ड पाया गया है।

अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ मेरी फर्म द्वारा कृष्णा एजेन्सी बालाजी(सिकराय) से क्रय किया गया है। मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ बिल से क्रय करके ही विक्रय किया जाता है। अतः मुझे उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ पान मसाला(राज श्री) के लिये शास्ति से माफ करने का श्रम करे।

अप्रार्थी अभियुक्त स. 2 द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मेरी फर्म द्वारा मैसर्स सालासर एण्टरप्राइजेज जयपुर से उक्त खाद्य पदार्थ बिल से क्रय करके ही विक्रय किया जाता है। अतः उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ पान मसाला (राज श्री) के लिये शास्ति से माफ करने का श्रम करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी अभियुक्त सं. 3 द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मेरी फर्म द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ कृष्णा एजेन्सी बालाजी(सिकराय) को विक्रय किया गया है। मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ बिल से क्रय करके ही विक्रय किया जाता हैं परन्तु उक्त क्रय बिल कही गुम हो गया है। अतः उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ पान मसाला (राज श्री) के लिये कम से कम जुर्माना लगाने का श्रम करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण सं. 1 लगा. 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /1576/एक्ट/2018/459 दिनांक 20.11.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (राज श्री) मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ पान मसाला (राज श्री) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 श्री करोडीमल गुप्ता पुत्र श्री पुरूषोत्तम गुप्ता विक्रेता व मालिक एफबीओ मैसर्स– भव्य एजेन्सी, एनएच–11, बालाजी मोड, तहसील सिकराय जिला दौसा पर 20000/–( अक्षरे बीस हजार रूपये ), अप्रार्थी सं0 2 श्रीफूल मीना पुत्र श्री श्रीमन मीना मालिक एफबीओ मैसर्स–श्री कृष्णा एजेन्सी, मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील सिकराय, जिला दौसा निवासी मीना सीमला, पोस्ट उदयपुरा, तहसील सिकराय जिला दौसा पर 20000/–( अक्षरे बीस हजार रूपये ), एवं अप्रार्थी सं. 3 दीपक कुमार बोथरा पुत्र श्री तिलोक चन्द बोथरा, मालिक मैसर्स–सालासर एन्टरप्राइजेज, 206, शान्ति काम्पलेक्स, बराह जी की गली, गणगौरी बाजार, जयपुर पर 20000/–( अक्षरे बीस हजार रूपये ) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 30.08.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा करवाकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( लोकेश कुमार मीना )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

कमांक/ 1784 – 1788
दिनांकः– 30 .08.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री करोडीमल गुप्ता पुत्र श्री पुरूषोत्तम गुप्ता विक्रेता व मालिक
   एफबीओ मैसर्स– भव्य एजेन्सी, एनएच–11, बालाजी मोड, तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्रीफूल मीना पुत्र श्री श्रीमन मीना मालिक
   एफबीओ मैसर्स–श्री कृष्णा एजेन्सी, मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
   निवासी मीना सीमला, पोस्ट उदयपुरा, तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. श्री दीपक कुमार बोथरा पुत्र श्री तिलोक चन्द बोथरा, मालिक
   मैसर्स–सालासर एन्टरप्राइजेज, 206, शान्ति काम्पलेक्स, बराह जी की गली, गणगौरी बाजार जयपुर।

( लोकेश कुमार मीना )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official